एक समर्पित जीवन समाप्त हो गया

भारत कृषक समाज बड़े ही दुख के साथ यह घोषणा कर रहा है कि डॉ. बलराम जाखड़ जी, पूर्व अध्यक्ष, भारत कृषक समाज का 3 फरवरी, 2016 को निधन हो गया। उनके निधन के साथ ही समाज और पूरे कृषक समुदाय को एक अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ा है और इस कमी को पूरा करना बड़ा ही मुश्किल है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

किसानों के समर्थक अब नहीं रहे

डॉ. बलराम जाखड़ का जन्म 23 अगस्त 1923 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के पंजकोसी गांव में हुआ था। वे शुरूआत में सांगरिया, (राजस्थान) में पढ़े और बाद में उन्होंने सन् 1945 में फोरमन क्रिस्चियन कॉलेज लाहौर से संस्कृत में ऑनर्स के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे बहुभाषी थे, उन्हें अंग्रेजी, संस्कृत, हिन्दी, उर्दू और पंजाबी भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान था। खेती–किसानी तथा अध्ययन उनकी अभिरूचियाँ थी। बुनियादी तौर पर श्री जाखड़ एक किसान थे, वे विशेषकर फलोद्यान प्रेमी थे। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद वे उनके पारिवारिक व्यवसाय खेती में जुट गये। खेती में आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर उन्होंने अपनी रूचि के अनुसार फलोद्यानिकी को उपजाऊ बनाकर न केवल विस्तार किया बल्कि बंजर जमीन को खेती के लायक बनाकर और उसकी पैदावार से होने वाली आय में कई गुना बढ़ोत्तरी की संभावनायें विकसित की।

फलोद्यान में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिये उन्हें सन् 1975 में देश के राष्ट्रपति के हाथों 'उद्यान पंड़ित' का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। कृषि तथा फलोद्यान के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार तथा गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार द्वारा उन्हें क्रमशः 'डॉक्टर ऑफ साइंस' तथा 'विद्या मार्तण्ड' की मानद उपाधियों से विभूषित किया गया। उन्होंने सन् 1975 में कृषकों के एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय कृषि उत्पादक सम्मेलन में भाग लिया। श्री जाखड़ देश के किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करते करते उनके सर्वमान्य नेता हो गये और सहज रूप से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गये।

वे भारत कृषक समाज के सदस्य सन 1964 में बने तथा उनकी सदस्यता संख्या 7921 है। बाद में वे भारत कृषक समाज के अध्यक्ष भी बने। यह ध्यान रखने वाली बात है कि उन्होंने 49 वर्ष की आयु तक खेती की और बाद में सन 1972 में अपने पहले विधान सभा चुनाव लड़ने का निर्णय किया।

सन् 1972 में पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने जाने के साथ ही श्री जाखड़ का संसदीय जीवन आरम्भ हो गया। वे सन 1973 में पंजाब मंत्रिमंड़ल में सहकारिता, सिंचाई और ऊर्जा के उपमंत्री रहे और उन्होंने कार्यभार संभालते ही विश्व बैंक के सहयोग से नहरें और नाले पक्के करने की परियोजना मंजूर करवाई और साथ ही गांवों के शत प्रतिशत विद्युतिकरण का चुनौतीपूर्ण कार्य शुरू किया। सन् 1977 में पुनः चुने जाने पर वे विपक्ष के नेता बने। इसके बाद फिरोजपुर से ही वे सन् 1980 में लोकसभा के लिये निर्वाचित हुए। वे अब तक राजनीति और प्रशासन में भी पारंगत हो गये थे, और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। सारा जीवन राष्ट्र की समस्याओं को दूर करने और लोगों की खुले दिल से सेवा करने में लगा दिया। उनका राजनीतिक जीवन एक खुली सुनहरी पुस्तक ही नहीं बल्कि निहायत पाक और साफ था। हकीकत में वह ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, उच्चकोटि के विद्वान तथा राष्ट्रवादी थे। राष्ट्र भक्ति उनकी नसों में दौड़ती थी। एक बार फैसला लेने के पश्चात वह पीछे हटना अपनी तौहिन समझते थे।

श्री जाखड़ को वर्ष 1980 में भारतीय गणतंत्र की सातवीं लोकसभा के लिये पहली बार चुने जाने के बाद लोकसभा के पीठासीन अधिकारी (स्पीकर/अध्यक्ष) के पद के लिये सभी राजनैतिक दलों के द्वारा सर्व–सम्मति से निर्वाचित होने का विशेष गौरव प्राप्त था। वे इस पद पर सातवीं और आठवीं लोकसभा की लगातार दो पूर्ण अवधि के लिये स्पीकर पद पर निर्वाचित होते रहे। श्री जाखड़ ने एक सशक्त और सर्वप्रिय स्पीकर की छवि लिये हुए इस गरिमामय पद के साथ जुड़ी सभी महती जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और चुनौतियों तथा संकट के अवसरों का सफलतापूर्वक सामना किया। श्री जाखड़ लगातार दस वर्षों तक लोकसभा के स्पीकर के पद पर सुशोभित रहने के बाद वर्ष 1989 में कार्यभार से मुक्त हुए और पार्टी के कार्य में भी उतनी ही निष्ठा और गंभीरता से जुड़े रहे। श्री जाखड़ एक व्यक्ति के रूप में जितने अच्छे इंसान थे उतने ही दबंग राजनीतिज्ञ भी। लोकसभा स्पीकर के रूप में जब वो सदन की कार्यवाही चलाते थे, तो ऐसा लगता था जैसे उनसे बेहतर नेतृत्व करने की क्षमता किसी अन्य की हो ही नहीं सकती। वह उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए लगते थे जो मन से विशुद्ध दे हैं, आत्मा से भारतीय हैं, संस्कारों से मिट्टी से जुड़ा है। दूसरे की भीतर की चोट को मरहम लगाना उन्हें बखूबी आता था। लेकिन ऐसा हक भी किसी को नहीं देते थे कि कोई उन्हें बिना कारण चोटिल करता रहे और वह सहते रहें। सहनशीलता और दबंगता उनके व्यक्तित्व के दो ऐसे विपरीत पहलू हैं जिनके संगम ने उन्हें पूरे विश्व में ख्याति दिलवाई थी।

सरल व आकर्षक व्यक्तित्व के धनी डॉ. जाखड़ किसानों के सच्चे हितैषी थे। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनसे संसद में होने वाली बहस में हिस्सा लेने की अपेक्षा नहीं की जाती थी, फिर भी मुद्दा जब किसानों का हो तो वह अपने को नहीं रोक पाते थे। भारत की हरित क्रांति में अहम योगदान देने वाले बलराम जाखड़ विभिन्न राजनीतिक मोर्चों पर किसानों–खेती के लिए बराबर आवाज उठाते रहते थे। किसानों की बुनियादी समस्याओं की बारीक समझ के लिए उन्हें पोथियों का सहारा नहीं लेना पड़ता था। खेत–खलिहानों में काम करने तथा किसानों के बीच रचने–बसने से यह स्वतः ही विकसित हो गया। श्री जाखड़ खेती के परंपरागत स्वरूप के खिलाफ थे। उनका मानना था कि किसानों को फसल के उत्पादन तक ही खुद को सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि पूरा लाभ उठाने के लिऐ इसके प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन के लिए भी खुद को तैयार करना चाहिए। वह खेती में आधुनिकतम तकनीकों के प्रयोग तथा विविधिकरण के हिमायती रहे हैं। कृषि से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी कुछ अन्य समस्याओं पर भी उनकी पैनी नजर रहती थी, जैसे भूमिगत जलस्तर गिरने तथा सूखे की समस्या। इनके निपटारे के लिए वह बराबर प्रयासरत रहते थे।

उनके कुशल संसदीय कार्य संचालन और व्यवस्था संबंधी आदेशों का आज भी स्मरण, उल्लेख और अनुसरण किया जाता है। स्वर्गीय प्रधान–मंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी जी ने एक बार डॉ. जाखड़ से पूछा कि क्या उनके पास कानून की डिग्री है जो उनकी लोकसभा के स्पीकर होने के नाते संचालन में मदद करेगी, तो डॉ. जाखड़ ने कहा कि 'उनके पास कानून की डिग्री तो नहीं है, लेकिन एक आम किसान की भावना है'।

श्री जाखड़ द्वारा सन् 1987 में निर्धारित किया गया कि न्यायपालिका की भूमिका के हर अंग को संविधान के अंतर्गत उनके लिये निर्धारित कार्य क्षेत्र और अधिकारों की सीमाओं में ही कार्य करना चाहिए, सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और एक दूसरे की सार्वभौमिकता, शक्तियों और विशेषाधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिऐ। श्री जाखड़ संवैधानिक पदों और कार्यालयों की गरिमा और स्वतंत्रता के पक्षधर रहे हैं। श्री जाखड़ ने लोकसभा के स्पीकर के पद पर अपने कार्यकाल में संसदीय कार्यों का कम्पयूटराइज़ेशन और आटोमेशन प्रारम्भ किया। उन्होंने सांसदों के ज्ञानवर्द्धन और जागृति के लिये संसदीय लायब्रेरी, अनुसंधान, संदर्भ, दस्तावेजीकरण और सूचना सेवाओं के विस्तार को प्रोत्साहित किया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांसदों के अनुभवों और विचारों के आदान–प्रदान के अवसर उपलब्ध कराये। संसदीय संग्रहालय एवं

अभिलेखागार की स्थापना उन्हीं के कार्यकाल की देन है। पंड़ित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और दादा साहब मावलंकर जैसी महान हस्तियों के जन्म शताब्दी समारोह भी श्री जाखड़ की ही कल्पना थी। श्री जाखड़ पहले एशियाई हैं जो सन् 1984 में राष्ट्रमंड़ल संसदीय संघ की कार्यकारिणी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

सन् 1991 में केन्द्र में कृषि मंत्री बनने के बाद वे अपनी पारिवारिक विरासत और पहली पसंद खेती और किसानों के हितों की रक्षा में फिर एक बार व्यस्त हो गये। स्वयं एक कृषक होने के नाते वह किसानों कि समस्याओं से भलीभाँति परिचित थे। उन्होंने केन्द्रीय कृषि मंत्री के पद रहते हुए कृषि और कृषकों के हित के लिए अनेकानेक कार्यक्रम लागू किए, जिनमें से कुछ एक हैं: कृषि नीति बनाई, जिसे संसद में विचारधीन रखा गया ; बूंद–बूंद और छिड़काव से सिंचाई प्रणाली का प्रारम्भ किया। इसे व्यापक बनाने के लिए सभी किसानों को अनुदान देने की व्यवस्था की ; बागवानी के विकास को महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी। छठी पंचवर्षीय योजना में 25 करोड़ के स्थान पर सातवीं योजना में 200 करोड़ का प्रावधान कराया, वहीं आठवीं योजना में 1000 करोड़ बागवानी में प्रावधान कराया गया ; कृषि आयकर के सुझाव का विरोघ किया और उसे रोका ; 'माडल को–आपरेटिव सोसायटीज एक्ट कमेटी' की सिफारिशों के अनुसार नया 'मल्टी–स्टेट को–आपरेटिव सोसायटीज एक्ट' का प्रारूप तैयार कराया, जिसका अन्य राज्यों द्वारा अनुकरण किया गया ; प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया ; कृषि अनुसंधान को सभी तरह से और अधिक सुदृढ़ किया गया ; दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिऐ योजनाएं लागू की गयीं, जिसके फलस्वरूप भारत दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम बन गया। उनके कारण ही कई महत्वपूर्ण विषय जैसे कि सबसिडी में कटौती तथा कृषि भूमि के उद्योगों हेतू अधिग्रहण पर किसानों के हितों की रक्षा हो पाई। सन 1996 तक अपने कार्यकाल में उन्होंने कृषक समुदाय के लिए अनगिनित कार्य किऐ। कृषि मंत्री की हैसियत से उन्होंने अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया। वे पंजाब और राजस्थान में निर्वाचित होकर संसद में प्रवेश पाते रहे हैं। श्री जाखड़ जलियांवाला बाग मेमोरियल ट्रस्ट के प्रबंध समिति के अध्यक्ष रहे हैं। समकालीन भारतीय राजनीति पर उनकी किताब प्रजा, संसद और प्रशासन (People, Parliament and Administration) का प्रकाशन उनकी विद्वत्ता का परिचायक है। डॉ बलराम जाखड़ वर्ष 2004 से 2009 तक मध्यप्रदेश के राज्यपाल रहे। उन्होंने अपनी अंतिम सांस 3 फरवरी, 2016 को ली। किसानों की समृद्धि और संसद के प्रति उनका योगदान ऐतिहासिक है और वह हमेशा कृषक समुदाय के सच्चे दोस्त के रूप में याद किऐ जाऐंगे।